

न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 121/बी-121/2015-16

: आदेश :

(आज दिनांक 29/09/2016 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) जोबट के माध्यम से तहसीलदार जोबट का जॉय प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 05.05.2016 को घटना स्थल (ग्राम रामपुरा में सड़क दुर्घटना) तहसील जोबट में सड़क दुर्घटना(मारुतिवेन से दुर्घटना होने से) आसू पिता पवन जाति हरिजन उम्र लगभग-12-13 वर्ष निवासी ग्राम चन्द्रशेखर आजाद नगर की मृत्यु हो गया है। आर्थिक सहायता 15000/-रु० स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार जोबट के अभिमत से सहमत होकर मृत्यु प्रमाण पत्र, एफ.आई.आर.पी.एम. के आधार पर मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/एफ-20-21/2012/1/4 भोपाल, दिनांक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार मृतक के वारिष्ठान में उसके पिता पवन पिता कातिल जाति हरिजन निवासी ग्राम चन्द्रशेखर आजाद नगर को आर्थिक अनुदान सहायता राशि कुल रूपये 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या -01-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीडित व्यक्तियों को तत्काल वितरित की जावे।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर दिनांक 21/09/2016

पृ०क/676/रीडर/2016
प्रतिलिपि:-

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर ।
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर। (बैंक खाते की छायाप्रति संलग्न)
- 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चन्द्रशेखर जोबट ।
- 5 तहसीलदार तहसील जोबट ।
- 6 सहायक जन संपर्क अधिकारी जिला कार्यालय अलीराजपुर ।
- 7 जिला विज्ञान एवं सूचना केन्द्र (एनआईसी) जिला अलीराजपुर की ओर अपलोड करने हेतु ।
- 6 संबंधित पवन पिता कातिल जाति हरिजन निवासी ग्राम चन्द्रशेखर आजाद नगर की ओर सूचनार्थ। द्वारा:- तहसीलदार ।

कलेक्टर

जिला अलीराजपुर